न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 603 सन 2021

अनवान :–

1. मोहित कुमार पुत्र फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सन्तोषदेवी पत्नी फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. नितु पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. मिनाक्षी पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. प्रमीला पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. मोनिका पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेघसिहपुरा के खाता संख्या 97/95 के खसरा न0 975 की 5.2740हैक्ट मे से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा मेघसिहपुरा के खाता संख्या 41/39 की कुल 11.0280हैक्ट में से 80/2757 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है फूलचन्द पुत्र भाणूराम का देहान्त हो चुका है फूलचन्द पुत्र भाणूराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी अर्थात सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम से दर्ज भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने है एवं फूलचन्द पुत्र भाणूराम 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की फूलचन्द पुत्र भाणूराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है फूलचन्द पुत्र भाणूराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 97/95 के खसरा न0 975 की 5.2740हैक मे से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 41/39 की कुल 11.0280हैक में से 80/2757 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है फूलचन्द पुत्र भाणूराम का देहान्त हो चुका है फूलचन्द पुत्र भाणूराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी अर्थात सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम से दर्ज भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने है एवं फूलचन्द पुत्र भाणूराम 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अत: वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 97/95 के खसरा न0 975 की 5.2740हैक मे से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 41/39 की कुल 11.0280हैक में से 80/2757 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फूलचन्द पुत्र भाणूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है फूलचन्द पुत्र भाणूराम का देहान्त हो चुका है फूलचन्द पुत्र भाणूराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी अर्थात सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 97/95 के खसरा न0 975 की 5.2740हैक मे से 1/3 हिस्सा भूमि फुलाराम पुत्र भाणूराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्ताकर है एवं रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 41/39 की कुल 11.0280हैक में से 80/2757 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फूलाराम पुत्र भाणूराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहित कुमार पुत्र फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सन्तोषदेवी पत्नी फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. नितु पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. मिनाक्षी पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. प्रमीला पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. मोनिका पुत्री फुलचन्द जाति रेगर निवासी नोहर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 603 सन 2021 निर्णय दिनांक– 13/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 97/95 के खसरा न0 975 की 5.2740हैक मे से 1/3 हिस्सा भूमि फूलाराम पुत्र भाणूराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्ताकर है एवं रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 41/39 की कुल 11.0280हैक में से 80/2757 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फूलाराम पुत्र भाणूराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर